न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 24/2019
दायर दिनांक :– 05.04.2019

अनवान

1. राधा पुत्री मोतीलाल रेगर नि. जालमपुरा तह0 जहाजपुर
2. चन्द्रकला पुत्री मोतीलाल रेगर नि. जालमपुरा तह0 जहाजपुर जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. मनफुला पत्नि मोतीलाल रेगर नि. जालमपुरा तह0 जहाजपुर
2. रामकन्या पुत्री मोतीलाल रेगर नि. जालमपुरा तह0 जहाजपुर
3. हीरालाल पिता भूरा लाल रेगर नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर तह0 जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री सुनील पंचोली, वकील वादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 11.12.2019

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 165 रकबा 4.05 बीघा कृषि भुमि स्थित है। जो पूर्व मे वादीगण के व प्रतिवादीगण 2 के पिता व प्रतिवादी सं. 1 के पति मोतीलाल व हीरा रेगर के नाम पर 1/2, 1/2 यानी आधी आधी राजस्व व भु अभिलेखों मे दर्ज है। मोतीलाल की मृत्यु दिनांक 30.06.2016 को हो गई हैं जिसका विरासत का नामान्तरकण खुलवाने वास्ते प्रतिवादी सं. 1 ने तहसीलदार जहाजपुर के यहा आवेदन करा लेकिन राजस्व अधिकारियों ने इन्तकाल नं. 5170/10.03.19 का नामान्तरकरण खोला प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से नामान्तरकरण खोलने के लिये दिये प्रार्थना पत्र मे दिये गये सजरे के अनुसार वारिसों के नाम नही खोलकर गलत नाम अंकित कर दिये जिसमे मोती लाल की पुत्री राधा के स्थान पर उसका गलत नाम दुर्गा तथा मोतीलाल की पुत्री चन्द्रकला का गलत नाम चकोला लिखकर गलत नामान्तरकरण खोल दिया गया। राजस्व अधिकारियो ने मोतीलाल की मृत्यु के बाद खुले नामान्तरकरण में गलती से मोतीलाल की पुत्री राधा के स्थान पर उसका गलत नाम दुर्गा लिखकर तथा वादीया सं. 2 मोतीलाल की पुत्री चन्द्रकला के सही नाम के स्थान पर उसका गलत नाम चकोला लिखकर नामान्तरकरण खोलकर उसे गलत नाम से खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। जिसे सही कराने का वादीगण को अधिकार प्राप्त है। जिसे सही किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। इसलिये वादीगण को उसके अन्य सभी सरकारी दस्तावेजो में अंकीत सही नाम के अनुसार ही राधा व चन्द्रकला के नाम से ही बतोर काश्तकार घोषित कराये जाने की मांग की गई।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल फाईल किये गये।

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 की नकल, विरासत का नामा, आवेदन की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई। जो शामिल फाईल है।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, रा. टी. ए. के तहत पेश किया गया है। जबकि रिलिफ में दुर्गा के स्थान पर राधा तथा चकोला के स्थान पर चन्द्रकला की नाम शुद्वी चाही गई है। जो की अन्तर्गत धारा 136 के तहत प्रस्तुत करनी चाहीये थी। वादीगण नाम शुद्वीकरण हेतु धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता है। जिसे न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नही समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाता है पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: